तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता… अहकाम ज… हुक्म की ता… में जारी
12/3/18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। प्रा० पत्र 2।2 पर बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा खस० नं. 13 की रकबा 2.61 हेक्टर भूमि वाके माल मौजा सातलखेड़ी की भूमि को एक करोड़ पांच लाख रुपये में खरीद की है। अस्सी लाख रुपये खातेदार के पुत्रों को अदा कर दिये है। शेष रकम रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ है। क्योंकि खातेदार की मृत्यु हो जाने से भूमि अभी पुत्रों के नाम दर्ज नहीं हुई थी। लिहाजा रजिस्ट्री नहीं हुई। अस्सी लाख रुपये लेने के बाद बेचानकर्ताओं (अप्रार्थी क्रम 1 से 3) के मन में बेइमानी आ जाने से वे इस भूमि को किसी अन्य को बेचने पर आमादा है। क्रय दिनांक से उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी पर झूठा मुकदमा करवाया है। अतः दौराने वाद इस भूमि को रहन बेचान नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा जारी की जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 लगायत 3 का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 2.61 हेक्टर जिसके साबिक नम्बर 10 थे, को राधेश्याम निवासी कुन्डी को जुपा रखा है। वही इस भूमि की देख रेख करता है। अप्रार्थीगण की ओर से वही काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि को प्रार्थी को कभी भी बेचान नहीं किया है। तथा कथित इकरारनामा फर्जी है। हमने इस फर्जी इकरार नामे के विरुद्ध FIR भी कार्वाई हुई है।	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है, दौरान न्यायालय तक से इनकी बैल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। ये अभी जेल में है। इकरारनामे में अंकित राशि किस बैंक से निकाल कर दी गई। इतनी राशि कहां से आई? कैसे भुगतान किया? यह माननीय सिविल न्यायालय ने प्रार्थी से पूछा है। प्रार्थी इकरारनामें के फर्जीवाड़े में जेल में है। तामा में शातिर इतिहास का है। इस कारण टी॰ आई॰ खारिज की जावे। वैसे भी ये वादगत भूमि के खातेदार नहीं है और खातेदार के विरुद्ध टी॰ आई॰ जारी नहीं की जा सकती। रिजोइंडर में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी द्वारा रकम व्यय कर भूमि खरीद है। कब्जा हमारा है, अतः दौराने वाद टी॰ आई॰ ग्रान्ट की जावे। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया प्रकरण के उपलब्धीय पहलुओं का परीक्षण किया गया। वादगत भूमि खसरा नं॰ 13 रकबा 2.61 हैक्टर वाके माल मौजा सातलखेड़ी बलदेव सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है, कि उसके द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा क्रय की गई है। प्रथम तो उक्त इकरारनामा अनरजिस्टर्ड है. और द्वितीय यह कि उक्त इकरारनामे को न्यायालय में चुनौति दी हुई है इस कारण उक्त इकरार नामें के आधार पर प्रार्थी को वादगत भूमि पर प्रथम दृष्टया कोई स्वत्व प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्व	

Scanned by CamScanner

4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व रिकार्ड प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। अप्रार्थीगण। ता० 3 खातेदार बल्देवसिंह के पुत्र है, इस पर कोई आक्षेप हाल तक नहीं किया गया है। इस कारण अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि के क्रम में प्रथम दृष्टया प्रकरण है। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के क्रम में खातेदार की हैसियत है, क्योंकि उनके पिता अभिलिखित खातेदार का देहावसान हो गया है, दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना कब्जा होने के कथन करते है, किन्तु जब तक कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिये जावें, भूमि के अभिलिखित खातेदार का कब्जा माना जाने की अवधारणा है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया लिहाजा प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के कथन मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। यदि प्रार्थी के कथनमात्र से अप्रार्थी। से 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल आदि किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थी की बनिस्पत अप्रार्थी। से 3 के पक्ष में पाया जाता है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, ऐसा प्रकट है। और प्रार्थी का भूमि क्रय किया जाना और इकरारनामा आलेखित करवाया जाना सिविल कोर्ट में विवेचनीय विषय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, लिहाजा उक्त दस्तावेज पर अन्य टिप्पणी इस स्तर पर अर्थात प्रार्थना पत्र के स्तर पर किया जाना उचित एवं अपेक्षित नहीं है। किन्तु प्रकरण में अपरिमित क्षति का बिन्दु प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी० ।लगायत 3 के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थी को या अप्रार्थीगण । से 3 या अन्य को वादग्रस्त भूमि पर क्या अख्तियार हासिल है? या होने चाहिये? इसका विनिश्चय एनवाद में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षण उपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर होना है। न कि प्रार्थना पत्र या जवाब के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक मनन एवं विवेचनोपरान्त हम यह पाते हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी निषेधाज्ञा बाबत शर्तत्रय पर खरा नहीं उतरता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 273/2017 के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दि० 1/3/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया। (हस्ताक्षर) (कृष्ण गोपाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner